

प्रेषक

धर्मेन्द्र सिंह,  
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,  
समस्तीपुर/सहरसा/मधुबनी/अररिया/बेगूसराय।

पटना, दिनांक-

विषय:-

मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-114-उत्प्रवासी श्रम कल्याण-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0102-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुर्नवापसी पर व्यय (विपत्र कोड-26-2230011140102) एवं मुख्य-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0103-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुर्नवापसी पर व्यय (विपत्र कोड-26-2230017890103) के अन्तर्गत CFMS Software से निर्गत किये गये CFMS Order No.- 7919 एवं 7920 के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय एवं योजना मद में प्राप्त बजट उपबंध के विरुद्ध आवंटन CFMS Software से किया जा रहा है। CFMS Software में Text Entry की व्यवस्था नहीं रहने के कारण राज्य योजना अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुर्नवापसी पर व्यय (विपत्र कोड-26-2230011140102) एवं (विपत्र कोड-26-2230017890103) के अन्तर्गत CFMS Software से निर्गत किये गये CFMS Order No.- 7919 एवं 7920 में राशि किस मृत प्रवासी मजदूर के वैध आश्रित हेतु आवंटित की गयी है का उल्लेख संभव नहीं है।

1. CFMS Order No.- 7919 से आवंटित की गयी राशि को निम्नलिखित मृत प्रवासी मजदूर के वैध आश्रित हेतु निकासी करते हुये निम्न बातों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय-

i) मृत प्रवासी मजदूर के वैध आश्रित को भुगतान के लिए अनुदान की राशि ₹ 1,00,000/-के भुगतान हेतु -

क्र. सं.	जिला का नाम	मृतक मजदूरों की संख्या	विषयशीर्ष	CFMS Order No.- 7919 से आवंटित राशि	CFMS Order No.- 7456 से राशि निम्नलिखित मृत प्रवासी मजदूर के वैध आश्रित के भुगतान हेतु आवंटित की गयी है।
1	2	3	4	5	6
1	समस्तीपुर	05	0102.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	500000/- (पाँच लाख)	संयुक्त श्रमायुक्त के गै0स0प्र0सं0-400 (श्रम पक्ष) दिनांक-12.12.19 के आलोक में (1) मृतक-स्व0 मो0 साजिद उर्फ जोजो, पिता-मो0 उलफत आश्रित-शहनाज प्रवीण, (पत्नी), ग्रा0-हरिपुर, प्र0-सिंधिया, जिला-समस्तीपुर। (2) मृतक- मो0 साजिद, पिता-मो0 मोसिम, आश्रित- मो0 मोसिम (पिता), ग्रा0-हरिपुर, प्र0-सिंधिया, जिला-समस्तीपुर।

					(3) मृतक-स्व0 मो0 सदरे, पिता-मो0 मंसुर, आश्रित- प्रवीण खातुन (पत्नी), ग्रा0-हरिपुर, प्र0-सिंधिया, जिला-समस्तीपुर। (4) मृतक- स्व0 मो0 नौसाद, पिता-मो0 फारुक, आश्रित- फुलेना खातुन (माता), ग्रा0-सिंधिया, जिला-समस्तीपुर। (5) मृतक- स्व0 मो0 छेदी, पिता-मो0 मोती, ग्रा0-हरिपुर, आश्रित- मो0 मोती (पिता), ग्रा0-हरिपुर, प्र0-सिंधिया, जिला-समस्तीपुर।
2	सहरसा	04	तदैव	400000 / - (चार लाख)	संयुक्त श्रमायुक्त के गै0स0प्र0सं0-400 (श्रम पक्ष) दिनांक-12.12.19 के आलोक में (1) मृतक-स्व0 मो0 फैसल, पिता-मो0 खुर्शीद आलम, आश्रित- मो0 खुर्शीद आलम (पिता), ग्रा0-नरियार, था0-सहरसा, जिला-सहरसा। (2) मृतक- स्व0 मो0 सजीम, पिता-स्व0 हलीमउद्दीन, आश्रित- आसयाना खातुन (पत्नी), ग्रा0-नरियार, था0-सहरसा, जिला-सहरसा। (3) मृतक- स्व0 मो0 फरीद, पिता-मो0 आलिम, आश्रित- मो0 अलीम उर्फ भोला (पिता), ग्रा0-नरियार, था0-सहरसा, जिला-सहरसा। (4) मृतक- स्व0 मो0 अफसार, पिता-मो0 सैफुल, आश्रित- मसीरा खातुन (पत्नी), ग्रा0+था0- नवहट्टा, जिला-सहरसा
3	मधुबनी	01	तदैव	100000 / - (एक लाख)	संयुक्त श्रमायुक्त के गै0स0प्र0सं0-400 (श्रम पक्ष) दिनांक-12.12.19 के आलोक में में मृतक- स्व0 मो0 साकिर हुसैन, पिता-मो0 ताहिर, आश्रित- साइस्ता नाज (पत्नी), ग्रा0-मलमल दक्षिण, पो0-मलमल, थाना-कलुवाही, जिला-मधुबनी।
4	अररिया	02	तदैव	200000 / - (दो लाख)	संयुक्त श्रमायुक्त के गै0स0प्र0सं0-400 (श्रम पक्ष) दिनांक-12.12.19 के आलोक में में (1) मृतक- स्व0 मो0 अयुब, पिता-अकलीम मियाँ, आश्रित- रेहाना खातुन (पत्नी) सा0-हिगवा हाट, पंचायत-नया भरगामा, वार्ड नं0-15, थाना+अंचल-भरगामा, अनुमंडल-फारबिसगंज, जिला-अररिया। (2) मृतक- स्व0 मो0 जाहिद, पिता-अकलीम मियाँ, आश्रित- अफसरी खातुन (पत्नी), सा0-हिगवा हाट, पंचायत-नया भरगामा, वार्ड नं0-15, थाना+अंचल-भरगामा, अनुमंडल-फारबिसगंज, जिला-अररिया।
	कुल	12		12,00,000 / - (बारह लाख)	मात्र।

CFMS Order No.- 7919 से आवंटित राशि ₹ 12,00,000/- ( ₹ बारह लाख ) मात्र ।

2. CFMS Order No.- 7920 से आवंटित की गयी राशि को निम्नलिखित मृत प्रवासी मजदूर के वैध आश्रित हेतु निकासी करते हुये निम्न बातों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय-

क्र. सं.	जिला का नाम	मृतक मजदूरों की संख्या	विषयशीर्ष	CFMS Order No.- 7920 से आवंटित राशि	CFMS Order No.- 7920 राशि निम्नलिखित मृत प्रवासी मजदूर के वैध आश्रित के भुगतान हेतु आवंटित की गयी है।
1	2	3	4	5	6
1	बेगूसराय	01	0103.31. 06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	100000/- (एक लाख)	(1) संयुक्त श्रमायुक्त के गै0स0प्र0सं0-400 (श्रम पक्ष) दिनांक-12.12.19 के आलोक में आलोक में मृतक-स्व0 नवीन कुमार राम, पिता-राजेन्द्र राम, आश्रित- अनीता देवी (माता), ग्रा0-बडीजाना, प्रखंड-छौड़ाही, जिला-बेगूसराय।
	कुल	01		1,00,000/-	(एक लाख)मात्र

CFMS Order No.- 7920 से आवंटित राशि ₹ 1,00,000/- ( ₹ एक लाख ) मात्र ।

2. यह राशि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1907 दिनांक-03.05.19 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2019-20 में "बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजनान्तर्गत" अनुदान की राशि ₹ 1,00,000/- ( ₹ एक लाख ) मात्र प्रति मृतक प्रवासी श्रमिक को की दर से उनके आश्रित को भुगतान हेतु एवं आवंटित की गयी है।

3. अनुरोध है कि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 के तहत इसकी जाँच पड़ताल करके भुगतान किया जाय। भुगतान के पश्चात् इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को फैंक्स/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-256/वि0 दिनांक-26.02.19, पत्रांक-732/वि0 दिनांक-31.07.19 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है।

5. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।

6. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में आवश्यक टी0भी0 नं0 तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अविलम्ब निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें ।

7. विभागीय अधिसूचना सं.-1/आई.एम.एल.-06/2016 श्र.सं.-3023 दि.-14.7.16 के आलोक में लाभूकों को अनुदान की राशि का भुगतान RTGS (Real Time Gross Settlement) पद्धति से उनके बैंक खाते में किया जायेगा।

8. आवंटित राशि को नियमानुसार जाँच कर उन्ही मृत/आंशिक अपंग/पूर्ण अपंग प्रवासी मजदूरों को उपलब्ध कराया जिन्हें पूर्व में इस हेतु लाभांशित नहीं किया गया हो।

9. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है ।

ह0/-

(धर्मेन्द्र सिंह)

श्रमायुक्त, बिहार ।


ज्ञापांक: 6/एफ1-307/19 श्र0सं0-

4902

पटना, दिनांक 13-12-19

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक /आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/संयुक्त श्रमायुक्त-1 एवं प्रशाखा-01 को गै०स०प्रे०सं०-400 (श्रम पक्ष) दिनांक-12.12.19, के आलोक में प्रशाखा-6, बजट शाखा, श्रम पक्ष एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जायेगा ।



(धर्मन्द्र सिंह)  
श्रमायुक्त, बिहार ।